

राजस्थान सरकार  
पशुपालन विभाग

क्रमांक:-प.4(7)पपा/2018

जयपुर, दिनांक :- 19 MAY 2018


—: आज्ञा :—

पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक के पद पर चयनित अधिकारियों की दिनांक 01.04.2018 की स्थिति में अस्थाई (Provisional) वरिष्ठता सूची निम्नानुसार जारी की जाती है :-

क.सं	नाम अधिकारी	श्रेणी	जन्म तिथि	मूल पद मय मेरिट	चयन वर्ष	विवरण
1	डा. महेशकटारा	सामान्य	1/9/1960	1/97 AD	2012-13	
2	डा. भवानी सिंह राठोड	सामान्य	10/12/1964	3/97 AD	2012-13	
3	डा. एन.एम. सिंह	सामान्य	11/11/1963	5/97 AD	2012-13	
4	डा. प्रदीप सारस्वत	सामान्य	23/05/61	6/97 AD	2012-13	
5	डा. आनन्द सेजरा	सामान्य	16/11/65	7/97 AD	2012-13	
6	डा. लक्ष्मण लाल राठौर	अ.ज.जा.	12/10/1960	36/87 VO	2012-13	
7	डा. शिव कुमार शर्मा	सामान्य	8/3/1959	9/97 AD	2013-14	
8	डा. सरिता यादव	सामान्य	24/12/1960	10/97 AD	2015-16	
9	डा. प्रकाश चन्द भाटी	अ.जा.	30/10/1964	11/97 AD	2015-16	
10	डा. रणजीत सिंह	अ.जा.	15/09/1959	12/97 AD	2016-17	
11	डा. लाल सिंह	सामान्य	2/7/1962	13/97 AD	2016-17	
12	डा. सुशील कुमार रस्तोगी	सामान्य	18/06/1958	8/97 AD	2016-17	
13	डा. रीटा पदमनाभन	सामान्य	21/06/1961	10/86 VO	2017-18	

उक्त वरिष्ठता सूची से सम्बन्धित अधिकारी अपनी आपत्ति निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से वरिष्ठता सूची के प्रकाशन के 15 दिवस में मय दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर सकेंगे। समयावधि समाप्ति पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(सुरेश दुर्गानी)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
3. निदेशक, पशुपालन विभाग, राज0, जयपुर।
4. संबन्धित अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर द्वारा-निदेशक, पशुपालन विभाग, राज0, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली

पशुपालन विभाग  
राजस्थान, जयपुर  
गोपनीय शाखा  
क्रमांक/1097 दिनांक 14-5-18

  
शासन उप सचिव



राजस्थान सरकार  
निदेशालय पशुपालन

क्रमांक :- एफवी 5(व.सूची.)स्था./अ/प्रशि./2018/2643-70

जयपुर, दिनांक 16/5/18

प्रतिलिपि :-

1. संबंधित अतिरिक्त निदेशक पशुपालन विभाग।
2. संबंधित अधिकारी द्वारा नियंत्रण अधिकारी।

को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वरिष्ठता सूची संबंधित अधिकारियों को सोपकर उनके द्वारा वरिष्ठता सूची के संबंध में दी आपत्ति/ अभ्यावेदन संबंधित दस्तावेजों सहित 15 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करे।

अतिरिक्त निदेशक  
(फार्म एवं सम्पदा)